

१०

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
संख्या-२७५/V-2/2019-05(आ०)/2017टी०सी०
देहरादून, दिनांक ३ सितम्बर, 2019

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-९७३/V-२/आ०-२०१९-०१(आ०)/२०१६ टी०सी०, दिनांक १९ जुलाई, २०१९ द्वारा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

अतएव अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-३ सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-२१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित भू-भाग को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(क) तहसील ऋषिकेश का सम्पूर्ण भू-भाग।

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या-२७५/V-२/२०१९-०५(आ०)/२०१७ टी०सी०, तददिनांक .।

प्रतिलिपि—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की ५०० प्रतियां मुद्रित कराते हुये प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

संख्या-२७५/V-२/२०१९-०५(आ०)/२०१७ टी०सी०, तददिनांक .।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- १— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- ४— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ५— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ६— जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- ७— उपाध्यक्ष / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- ८— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- ९— एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।